

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या 43/22 राज0 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 (RCMS No.2022/45)

होशियारसिंह पुत्र रंगराव सिंह जाति राजपूत निवासी गांव हांसाबाद जिला रेवाडी (हरियाणा)

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (ए0पी0पी0) भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 16.2.2022 जिला कलक्टर भरतपुर व मुकदमा प्रार्थना पत्र संख्या 177/21 उनवान होशियारसिंह बनाम राज0 सरकार प्रार्थनापत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन पिकअप बोलेरो संख्या एच0आर0 62- 5662 व मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2021 अपराध धारा 5/8 पुलिस थाना सदर डीग जिला भरतपुर अंतर्गत आरबीएक्ट राजस्थान गौवंशीय पशु बध अधिनियम 1995.


उपस्थिति :-

1. श्री रिपुदमनसिंह वकील अपीलान्त
2. सहायक लोक अभियोजक

निर्णय

दिनांक: 16.5.2022

यह अपील राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यानिर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.2.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्त ने एक सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलान्त का वाहन पिकअप बोलेरो संख्या एच0आर0 62- 5662 की पॉवर ऑफ अटॉर्नी कराई हुई है। प्रार्थी का उक्त वाहन दिनांक 13.10. 2021 की रात्रि को चोरी हुआ था जिसकी एफआईआर नं0 400/2021 दिनांक 18. 10.21 को धारा 379 भादंस थाना विलासपुर जिला गुरुग्राम में की गई थी दिनांक 26.10.2021 को थाना सदर डीग द्वारा अभियोग संख्या 12/21 के तहत बरामद कर ली गई है। उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी को अपने जीवन यापन के लिए वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसे अपीलान्त की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान करें। तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर


संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर




द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2022 पारित करते हुये जप्त गौवंश में संलिप्त जब्तशुदा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

इस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने से पूर्व सर्वप्रथम श्रृवण क्षेत्राधिकार पर सुना जाना न्यायोचित पाते है। लिहाजा वकील अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की सुनवाई क्षेत्राधिकार पर बहस सुनी गई।

सहायक लोक अभियोजक द्वारा राजस्थान राजपत्र में विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) जयपुर दिनांक 27 नवम्बर 2019 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.11.2019 की प्रतिलिपि पेश करते हुये न्यायालय हाजा को इस प्रकरण का सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुये उक्त अधिनियम के बिन्दु संख्या 3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये स्पष्ट किया कि” जब कभी भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश पारित करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी , किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।.....” इस प्रकरण में न्यायालय हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा को इस प्रकरण के श्रृवण क्षेत्राधिकार होने के संबध में कोई सन्तोषजनक जबाब पेश नहीं किया गया और ना ही सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त अधिसूचना के विरुद्ध कोई उज्रदारी पेश की गई।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2022 पारित करते हुये जप्त गौवंश में संलिप्त जब्तशुदा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज कर दिया । इसके विरुद्ध न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गई है किन्तु न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने से पूर्व अदालत हाजा को श्रृवणाधिकार के बिन्दु को सर्वप्रथम निस्तारित किया जाना है। इस संदर्भ में सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) जयपुर दिनांक 27 नवम्बर 2019 को जारी राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.11.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो चुका है कि न्यायालय हाजा को इस प्रकरण का सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त अधिनियम के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट किया कि” जब कभी भी उप-धारा (1) में


भारतीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

